न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर I.A.S.

प्रकरण संख्या – 34 / 2020 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं0–2020 / 00104

कजोड़ आत्मज भैरू लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––प्रार्थी.

बनाम

1. देवचन्दा उर्फ देवचन्द आत्मज नारायण जाति मेहर निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बद्रीप्रकाश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 1

निर्णय

दिनांक :– 27.07.2022

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक अन्तर्गत धारा 15 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रस्तुत कर ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा स्थिति आराजी खसरा नम्बर 426 / 589 रकबा 0.84 हे0 अप्रार्थी नं0 1 के गैर खातेदारी में दर्जसुदा प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.4.2013 को 1,95,000 / – में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है । उक्त भूमि भारत माला परियोजना एन एच 148 एन में अवाप्ति में आने से मुआवजा राशि को रोका जाने हेतु प्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश की गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने पर यह प्रार्थना पत्र दिनां 11.3.2020 को प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एड0 बद्रीप्रकाश शर्मा उपस्थित, वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया । उपस्थित वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा स्थित खरा नम्बर 426 / 589 रकबा 0.84 हे0 आराजी स्थित है जो अप्रार्थी कम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज है उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.4.2013 को 1,95,000 / – में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया एवं बाद खरीद से निरन्तर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वर्णित आराजी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के लिए अवाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी की जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.6.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी बाद आपत्ति प्रार्थी निरन्तर मुआवजा हेतु कार्यवाही करता चला

जिला कलेक्टर
कोटा

आ रहा है किन्तु अप्रार्थी कम 2 द्वारा समुचित सुनवायी नही करने व खातेदार को ही मुआवजा दिये जाने बाबत कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनां 27.2.2020 को नोटिस प्रेषित किया जिस पर भी कोई आश्वासन नहीं मिलने से प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया । बाद खरीद से प्रार्थी ही निरन्तर काबिज काश्त है और आज भी प्रार्थी ह काश्त कर रहा है बाद खरी से अप्रार्थी का वर्णित आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर दर्ज नाम के आधार पर अप्रार्थी मुआवजा प्राप्त कना चाहता है जबकि मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा स्थित खसरा नम्बर 426/589 रकबा 0.84 हे0 की भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब एवं बहस में कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 426/589 रकबा 0.84 हे0 वाके ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा अप्रार्थी नं0 1 की गैर खातेदारी में दर्ज भूमि है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थी नं0 1 की गैर खातेदारी में दर्ज भूमि है तथा उक्त आराजी पर अप्रार्थी नं0 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी को तथा उक्त आराजी को अप्रार्थी नं0 1 कभी भी प्रार्थी कजोड को न तो विक्रय की गई और न ही विक्रय का कोई कागजात/दस्तावेज ही आलेखित किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी कजोड पटवार हल्का अरण्डखेडा पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य करता था तथा अप्रार्थी नं0 1 पटवारी हल्का के यहां भूमि का कडता पिलाई आदि जमा करवाने तथा उक्त आराजी की बकाया किश्त जमा कराने तथा आराजी को गैर खातेदारी से खातेदार में दर्ज कराने हेतु प्रार्थी के पास गया था तो वहां पर कजोड भी मौजूद था तथा प्रार्थी कजोड ने अप्रार्थी नं0 1 की भूमि के कागजात देखकर कोटा तहसील में चलने के लिये कहा तथा कोटा लेकर आया और खातेदारी अधिकार दिलाने के लिये कजोड ने कुछ कागजों पर अंगूठा निशानी अप्रार्थी नं0 1 से लगवाई तथा कहा कि अब भूमि खातेदारी में दर्ज हो जावेगी कन्तु प्रार्थी ने अप्रार्थी नं0 1 से धोखे से बेईमानी का आशय रखते हुये हस्ताक्षर करवा लिये थे जबकि अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कभी भी भूमि बेचान ही नहीं की गई है । प्रार्थी का अप्रार्थी नं0 1 की गैर खाते की भूमि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो उसे इस प्रकार का प्रार्थना पत्र लाने का भी अधिकार नहीं है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से भी सव्यय खारिज होने योग्य है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 15 भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भारत माला परियोजना एन एच 148 एन में अप्रार्थी नं0 1 की ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा स्थिति आराजी खसरा नम्बर 426/589 रकबा 0.84 हे0 आराजी अवाप्त की गई है । यह भूमि प्रार्थी के द्वारा खरीद किया जाना बताया जाकर उक्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी स्वयं को बताया है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थी नं0 1 देवचन्दा का ही कब्जा काश्त होना बताया है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कोटा लाकर गैर खातेदारी से खातेदारी दिलाने के लिए कजोड ने कुछ कागजों पर अंगूठा निशानी अप्रार्थी नं0 1 से लगवाई जाना बताया किन्तु भूमि का विक्रय नहीं किया है । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित भूमि जो रेकार्ड में अप्रार्थी नं0 1 देवचन्दा के नाम गैर खातेदारी में दर्जसुदा को दिनांक 16.4.2013 को 1,95,000/– में खरीद करना बताया है किन्तु इसके समर्थन एवं सत्यता के लिए खरीद सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जिससे भूमि के बेचान की पुष्टि हो सकें इसके साथ ही नियमानुसार गैर खातेदारी भूमि का

जिला कलेक्टर
कोटा

बेचान भी नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई ठोस आधार पेश नहीं किया है, जबकि रेकार्ड अनुसार भूमि अप्रार्थी नं0 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने से अवाप्त भूमि का मुआवजा नियमानुसार गैर खातेदार अप्रार्थी नं0 1 ही प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अधिनस्थ न्यायालय के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।
7. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

27/7/2022

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा